अनुदान संख्या 57 – विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 57–DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	40667,00,00		40960,93,00	36054,04,63	–4906,88,37
पूरक	Supplementary	293,93,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4748,56,17
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
पूरक	Supplementary			761,54,00	750,00,00	–11,54,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,54,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुभाग के राजस्व भाग में, कुल बचतें (490688.37 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 29393.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.490688.37 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.29393.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2251''	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Sercretariat - Social Services				
मू.	O.	330.00	170.53	176.08	+5.55
पू.	S.	32.00			
पु.	R.	–191.47			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	2957440.00			
पू.	S.	29358.00	3030205.13	3029263.41	–941.72
पु.	R.	43407.13			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	252120.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	–1.00
पु.	R.	–252120.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	842955.00			
पू.	S.	1.00	583864.40	569013.38	–14851.02
पु.	R.	–259091.60			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	13855.00			
पू.	S.	1.00	6995.77	6951.76	–44.01
पु.	R.	–6860.23			

(I) 539640.00 लाख रु. का प्रावधान सैंतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 539328.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" -

(I) Provision of Rs.539640.00 lakhs remained wholly unutilised under forty seven heads; of these Rs.539328.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - सरकारी स्थानीय निकाय विद्यालयों में एक वर्षीय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सहायता'' - 8998.00 लाख रु. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्कीम लागू किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुदेश प्राप्त होने की वजह से स्कीम लागू न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा'' -

(i) ''गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता'' -

(1) ''नवीन आदर्श विद्यालय'' - 58278.00 लाख रु.; और

(2) ''2000 केजीबीवी का उन्नयन (रिहायशी विद्यालय, छात्रावास/बालिका छात्रावास)'' - 7198.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संशोधित स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) अन्य व्यय'' -

(1) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान'' - 200.00 लाख रु. कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण थे।

(2) ''शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 400.00 लाख रु. स्कीम के समीक्षाधीन होने और किफायती उपायों के कारण थे।

(3) ''माध्यमिक स्तर पर व्यापक प्रवेश एवं गुणवत्ता स्कीम'' - 400.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और आदर्श आचरण संहिता लागू किए जाने के कारण थे।

(a) "Elementary Education - Other Expenditure – Support to One year Pre-Primary in Government local body Schools" - Rs.8998.00 lakhs - due to non-implementation of the Scheme owing to receipt of instruction from Ministry of Finance for implementation of scheme by Ministry of Woman and Child Development.

(b) "Secondary Education" -

(i) "Assistance to Non-Govt. Secondary Schools" -

(1) "New Model Schools" – Rs.58278.00 lakhs; and

(2) "Upgrading 2000 KGBVs (Residential Schools, Hostels/Girls Hostels)" – Rs.7198.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalization of revised scheme.

(ii) "Other Expenditure" -

(1) "Information & Communication Technology in Schools – Grants to Union Territories without Legislature" – Rs.200.00 lakhs - due to receipt of less number of proposals.

(2) "Vocationalisation of Education" – Rs.400.00 lakhs - due to scheme being under review and economy measures.

(3) "Scheme for Universal Access & Quality at the Secondary Stage (SUCCESS)" – Rs.400.00 lakhs - due to non-finalization of the scheme and implementation of model code of conduct.

(ग) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - 35 वर्ष से अधिक की आयु समूह के व्यक्तियों के लिए साक्षरता कार्यक्रम'' - 1498.00 लाख रु. वित्त मंत्रालय से अनुदेश प्राप्त होने की वजह से नई स्कीम लागू न किए जाने के कारण थे।

(घ) ''सामान्य - छात्रवृत्तियां - राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - 10800.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण'' -

(i) ''राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद - 400.00 लाख रु.;

(ii) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां'' - 3000.00 लाख रु.;

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा -गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता'' -

(i) ''केंद्रीय विद्यालय संगठन'' - 3000.00 लाख रु.; और

(ii) ''आदर्श विद्यालय की स्थापना (नवोदय विद्यालय)'' - 7000.50 लाख रु. (0.50 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''नए आदर्श विद्यालय'' - 6720.00 लाख रु.; और

(c) "Adult Education - Other Adult Education Programmes – Literacy Programme for 35+ age group" – Rs.1498.00 lakhs - due to non-implementation of new scheme owing to receipt of instruction from Ministry of Finance.

(d) "General – Scholarships – National Merit Scholarship Scheme (OSC)" – Rs.10800.00 lakhs – due to non-finalisation of the scheme.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Secondary Education - Research & Training" -

(i) "National Council of Educational Research and Training" – Rs.400.00 lakhs;

(ii) "Information & Communication Technologies in Schools" - Rs.3000.00 lakhs;

(b) "Secondary Education – Assistance to Non-Government Secondary Schools" -

(i) "Kendriya Vidyalaya Sangathan" – Rs.3000.00 lakhs; and

(ii) "Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas)" – Rs.7000.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh).

Provisions under the above four head remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "New Model Schools" – Rs.6720.00 lakhs; and

(iv) ''2000 केजीबीवी का उन्नयन (रिहायशी विद्यालय, छात्रावास/बालिका छात्रावास)'' - 800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान आदर्श आचरण संहिता लागू होने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने कारण अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(i) ''माध्यमिक स्तर पर व्यापक प्रवेश एवं गुणवत्ता संबंधी स्कीम'' - 21850.00 लाख रु.;

(ii) माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन संबंधी राष्ट्रीय स्कीम'' - 500.50 लाख रु. (0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) ''माध्यमिक शिक्षा - उपस्कर - विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' - 675.00 लाख रु.;

(ङ) ''प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 5000.00 लाख रु.;

(च) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(i) ''विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 80000.00 लाख रु.; और

(ii) ''सर्व शिक्षा अभियान'' - 116000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) "Upgrading 2000 KGBVs (Residential Schools, Hostels/Girls Hostels" – Rs.800.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalisation of scheme owing to enforcement of model code of conduct.

(c) "Secondary Education – Other Expenditure" –

(i) "Scheme for Universal Access & Quality at the Secondary Stage (SUCCESS)" – Rs.21850.00 lakhs;

(ii) "National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)" – Rs.500.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh);

(d) "Secondary Education-Equipment – Integrated Education for Disabled Children" - Rs.675.00 lakhs;

(e) "Elementary Education – Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions" – Rs.5000.00 lakhs;

(f) "Elementary Education – Other Expenditure" -

(i) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" – Rs.80000.00 lakhs; and

(ii) "Sarva Shiksha Abhiyan" – Rs.116000.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) ''सरकारी स्थानीय निकाय विद्यालयों में एक वर्षीय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सहायता'' - 1000.00 लाख रु. वित्त मंत्रालय से अनुदेश प्राप्त होने की वजह से नई स्कीम लागू न किए जाने के कारण थे।

(छ) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय - शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 370.00 लाख रु. स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण थे।

(ज) ''माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्ति - राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - 1200.00 लाख रु. वर्तमान स्कीम के बदले नई स्कीम बनाए जाने के कारण थे।

(झ) ''प्रौढ़ शिक्षा, निदेशन और प्रशासन - प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय'' - 120.00 लाख रु.;

(ञ) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्याक्रम'' -

(i) ''प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम'' - 3690.00 लाख रु.; और

(ii) ''गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए सहायता'' - 700.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान'' -

(क) ''शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 2580.00 लाख रु.; और

(iii) "Support to One Year Pre-Primary in Government local body Schools" – Rs.1000.00 lakhs – due to non-implementation of new scheme owing to receipt of instruction from Ministry of Finance.

(g) "Secondary Education – Other Expenditure – Vocationalisation of Education" – Rs.370.00 lakhs - due to scheme being under revision.

(h) "Secondary Education – Scholarship – National Merit Scholarship Scheme (OSC)" – Rs.1200.00 lakhs – due to creation of new scheme in lien of the existing scheme.

(i) "Adult Education, Direction & Administration – Directorate of Adult Education" – Rs.120.00 lakhs;

(j) "Adult Education - Other Adult Education Programme" -

(i) "Adult Education & Skill Development Scheme" - Rs.3690.00 lakhs; and

(ii) "Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education & Skill Development Scheme" – Rs.700.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secondary Education – Other Grants" -

(a) "Vocationalisation of Education" – Rs.2580.00 lakhs; and

(ख) ''माध्यमिक स्तर पर व्यापक प्रवेश एवं गुणवत्ता संबंधी स्कीम'' - 192750.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम के समीक्षाधीन होने और आदर्श आचरण संहिता लागू किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''उपस्कर - माध्यमिक शिक्षा - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां'' - 400.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान'' -

(i) ''शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 150.00 लाख रु. स्कीम के समीक्षाधीन होने के कारण थे।

(ii) ''विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' - 150.00 लाख रु. व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(iii) ''माध्यमिक स्तर पर व्यापक प्रवेश एवं गुणवत्ता स्कीम'' - 3500.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और आदर्श आचारण संहिता लागू किए जाने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग'' - 330.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 32.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 362.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 185.92 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(b) "Scheme for Universal Access & quality at the Secondary Stage (SUCCESS)" – Rs.192750.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to scheme being under review and enforcement of model code of conduct.

(D) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Equipment – Secondary Education – Information & Communication Technologies in Schools" – Rs.400.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Union Territory Governments.

(b) "Secondary Education – Other Grants" -

(i) "Vocationalisation of Education" – Rs.150.00 lakhs - due to scheme being under review.

(ii) "Integrated Education for Disabled Children" - Rs.150.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(iii) "Scheme for Universal Access & Quality at the Secondary Stage (SUCCESS)" – Rs.3500.00 lakhs - due to non finalisation of scheme and model code of conduct.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2251" – "Secretariat - Department of School Education and Literacy" – the original provision of Rs.330.00 lakhs was augmented to Rs.362.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.32.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.185.92 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद" - 10105.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2105.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 12210.00 लाख रु. करक दिया गया। तथापि, 2276.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "प्रारंभिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान - स्थापना और सम्बद्ध व्यय" - 1885.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 93.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1978.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 272.77 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(ग) "प्रौढ़ शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय" - 1272.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 57.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1329.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 159.76 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने, आदर्श आचरण संहिता लागू किए जाने और किफायती उपायों के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "माध्यमिक शिक्षा - गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - तिब्बती शरणार्थी बच्चों (तिब्बती विद्यालय समिति) को शैक्षणिक सुविधाएं" - 2640.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर

(B) Major Head "2202" –

(a) "Secondary Education - Research & Training – National Council of Educational Research and Training" - the original provision of Rs.10105.00 lakhs was augmented to Rs.12210.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2105.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2276.00 lakhs (including supplementary grant)– due to availability of unspent balances of previous years.

(b) "Elementary Education - Sarva Shiksha Abhiyan - Establishment and Related Expenditure" - the original provision of Rs.1885.00 lakhs was augmented to Rs.1978.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.93.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.272.77 lakhs (including supplementary grant); and

(c) "Adult Education – Direction & Administration – Directorate of Adult Education" - the original provision of Rs.1272.00 lakhs was augmented to Rs.1329.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.57.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.159.76 lakh (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant post, implementation of model code of conduct and economy measures.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2202" – remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Secondary Education - Assistance to Non-Govt. Secondary Schools – Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society)" - the original provision of Rs.2640.00 lakhs was augmented to Rs.3140.00 lakhs by

3140.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, किफायती उपायों के कारण 69.00 लाख रु. की सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''सामान्य - छात्रवृत्ति - राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - 1154.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, स्कीम का अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने के कारण 140.45 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रारंभिक शिक्षा'' -

(क) ''विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' -

(i) ''बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता'' - 775.59 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय संघटक'' - 1306.89 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने, आदर्श आचरण संहिता लागू किए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'' - 4441.12 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम बंद कर दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 1731.37 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

obtaining supplementary grant of Rs.500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.69.00 lakhs - due to economy measures.

(B) "General – Scholarships – National Means cum Merit Scholarship Scheme" – funds of Rs.1154.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.140.45 lakhs – due to delay in receipt of approval of scheme.

(IV) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education" –

(a) "National Programme of mid day meals in school" -

(i) "Assistance to Union Territories without Legislature" – saving of Rs.775.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from Union Territories.

(ii) "National Component" – saving of Rs.1306.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, implementation of model code of conduct and economy measures.

(b) "Other Expenditure - District Primary Education Programme (EAP)" – saving of Rs.4441.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to closure of the scheme.

(B) "Secondary Education – Other Expenditure – Information & Communication Technology in Schools- Grants to Voluntary Organisations" – saving of Rs.1731.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from voluntary organisations.

(गा) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम'' - 25521.68 लाख रु. की बचत (31710.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कुछ संघटकों का संशोधन किए जाने के कारण हुई।

(C) "Adult Education –Other Adult Education Programmes – Adult Education & Skill Development Scheme" – saving of Rs.25521.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.31710.00 lakhs) was due to revision of some components of the scheme.

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - राज्यों को सहायता'' - 69573.24 लाख रु. की बचत (570100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Elementary Education – National Programme of Mid day meals in Schools – Assistance to States" – saving of Rs.69573.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.570100.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the States.

(खा) ''प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 18091.09 लाख रु. की बचत (42870.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के समीक्षाधीन होने के कारण हुई।

(B) "Elementary Education – Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions" – saving of Rs.18091.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.42870.00 lakhs) was due to scheme being under review.

(VI) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता'' - 1377.72 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Elementary Education – National Programme of Mid day Meals in schools – Assistance to Union Territory Governments" – saving of Rs.1377.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to non receipt of sufficient number of proposals from Union Territory Governments.

(खा) ''प्रारंभिक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण) - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 1443.31 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Elementary Education (Teacher Training) - Strengthening of Teachers Training Institutions" – saving of Rs.1443.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non receipt of complete proposals from the Union Territory Governments.

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत 302.87 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00

(VII) Under four heads savings of Rs.302.87 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and

लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (96585.84 लाभ रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 29360.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - राष्ट्रीय बाल भवन राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन समिति'' - 433.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 432.68 लाख रु. था।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता'' -

(i) ''केंद्रीय विद्यालय संगठन'' - 21853.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 21852.50 लाख रु. था।

(ii) ''आदर्श विद्यालयों (नवोदय विद्यालयों) की स्थापना'' - 67574.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 67573.10 लाख रु. था।

(ग) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता'' - 986.70 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 987.69 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन संबंधी राष्ट्रीय स्कीम'' - 5573.35 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5572.35 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अन्य

constituting 62 percent to 74 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.96585.84 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.29360.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2202” –

(a) “Elementary Education - Other Expenditure – National Bal Bhawan National Children’s Museum Bal Bhawan Society” – Rs.433.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.432.68 lakhs.

(b) “Secondary Education – Assistance to Non-Govt. Secondary Schools” -

(i) “Kendriya Vidyalaya Sangathan” – Rs.21853.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.21852.50 lakhs.

(ii) “Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas)” – Rs.67574.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.67573.10 lakhs.

(c) “Adult Education - Other Adult Education Programmes – Support to NGOs/ Institutions/ SRCs for Adult Education & Skill Development Scheme” – Rs.986.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.987.69 lakhs.

(B) Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secondary Education – Other Grants – National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)” – Rs.5573.35 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5572.35 lakhs.

(C) Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secondary Education –

अनुदान - माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन संबंधी राष्ट्रीय स्कीम'' - 165.79 लाख रु.। तथापि वास्तविक अधिक व्यय 121.79 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''प्रारंभिक शिक्षा'' -

(क) ''सर्व शिक्षा अभियान - सामान्य संघटक'' - 70465.71 लाख रु. का अधिक व्यय (1042103.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - खाद्यान्नों की लागत'' - 6185.99 लाख रु. का अधिक व्यय (140000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां'' - 3007.24 लाख रु. का अधिक व्यय (24400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - उपस्कर - विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' - 477.12 लाख रु. का अधिक व्यय (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए

Other Grants – National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)" - Rs.165.79 lakhs. Actual excess, however, was Rs.121.79 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" – "Elementary Education" –

(a) "Sarva Shiksha Abhiyan - General Component" - excess of Rs.70465.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1042103.00 lakhs); and

(b) "National Programme of mid day meals in school - Cost of Food Grains" – excess of Rs.6185.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.140000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Secondary Education Research and Training – Information and Communication Technologies in Schools" – excess of Rs.3007.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.24400.00 lakhs); and

(b) "Secondary Education – Equipment – Integrated Education for Disabled Children" – excess of Rs.477.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on

निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने और राज्यों से प्राप्त हुए लंबित प्रस्ताव का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds to clear pending proposal received from the States.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''6202'' शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	Major Head "6202" Loans to Education, Sports, Art and Culture				
पू.	S.	76154.00	75000.00	75000.00	..
पु.	R.	–1154.00			

(I) ''सामान्य शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा - कक्षा VIII के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' के अंतर्गत अक्तूबर, 2008 में पूरक अनुदान प्राप्त करके 76154.00 लाख रु. की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, पूरक अनुदान गलती से प्राप्त किए जाने के कारण 1154.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(I) Under "General Education - Secondary Education – National Means cum Merit Scholarship Scheme to arrest dropout ratio beyond Class VIII" - funds of Rs.76154.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in October, 2008 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1154.00 lakhs - due to inadvertent obtaining of supplementary grant.

4. प्रारंभिक शिक्षा कोष:-

4. *Prarambhik Shiksha Kosh:-*

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर 2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (no. 2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax, Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तत्कालीन प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts

कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया ।

of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय ''सर्वशिक्षा अभियान'' और ''दोपहर का भोजन स्कीम'' पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी । किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में अन्य बजटीय संसाधनों से वहन किया जाएगा । इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण अन्य बजटीय संसाधनों के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा ।

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes "Sarva Shiksha Abhiyan" and "Mid-Day Meal Scheme". Expenditure incurred on these schemes, in any financial year, shall initially be incurred from Other Budgetary Resources (OBR). Component of plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shika Kosh only after OBR is exhausted.

शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए नव गठित प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2008-09 में 12817.00/- करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था । सर्व शिक्षा अभियान और दोपहर का भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2008-09 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी ।

A provision of Rs.12817.00 crores was made in the Union Budget 2008-09 for initial transfer to the newly created Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2008-09 for amount to be recouped from Prarambhik Shiksha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2008-09 में संबंधी निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for the year 2008-09 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	652,06,81
प्राप्तियां	Receipts	12817,00,00
अदायगियां	Payments	11691,81,27
अंतशेष	Closing Balance	1777,25,54